



#2024/31

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

गुलाब कर्मा बनाम लकाट

प्रकरण संख्या :- 2023 27/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	05/02/24	<p>पतावली तहसीलदार आमेर डीपतांक नं. क/ 2024/86 दि. 09/01/2024 द्वारा प्रशासन गांवी के खंग का प्राप्त हुआ। जा० पत दर्ज रजिस्टर होवे। नोटिस जारी हो।</p> <p>पतावली वारने तलबी के दि. 13/02/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">             उप-खण्ड अधिकारी            आमेर, जिला- जयपुर         </p>	<p>गुलाब कर्मा</p> <p>लकाट बनाम गुलाब कर्मा</p>
	13/02/24	<p>पतावली तहसीलदार आमेर प्रशासन आदेश आमेर प्रशासन के मुताबिक पतावली का अंशदान किया गया। प्रार्थी का प्रमाण तहसीलदार, सिपाई एवं उस्तादवान के आदेश पर - याचक से तबीनाह किया जा रहा है। आदेश मुताबिक। विस्तृत आदेश प्रकरण में लिखा गया। पतावली के मजदूरी हुआ। शीर्षक एवं नंबर से संसदी।</p> <p style="text-align: right;">             उप-खण्ड अधिकारी            आमेर, जयपुर         </p>	

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

प्रकरण संख्या :- 27 / 2024

जीसीएमएस नं० :- 2024 / 31

उनवान :- गुलाब वर्मा बनाम सरकार

::- आदेश -::

दिनांक: 13.02.2024

तहसीलदार, तहसील आमेर के पत्रांक भू.अ./2024/86 दिनांक 09.01.2024 द्वारा प्रशासन गाँवों के संग अभियान में प्रकरण प्राप्त हुआ। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। उभयपक्ष को तलब किया गया। नायब तहसीलदार, तहसील आमेर पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। पक्षकारान को सुना गया। उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

अतः प्रा०पत्र के सलग्न दस्तावेजात का अध्ययन किया, उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार, तहसील आमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ग्राम रूण्डल की जमाबंदी संवत 2074-2077 के खाता संख्या 571 एवं 572 में परखी पुत्री गोपाल के स्थान पर गुलाब उर्फ परखी वर्मा पुत्र रामगोपाल वर्मा शुद्धि का इन्द्राज किया जाना स्वीकृत किया जाता है। आदेश सुनाया गया। तहसीलदार, तहसील आमेर पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
आमेर, जिला जयपुर